झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/498/2007– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत राजबाँध सिंचाई योजना के नहर के जीर्णोद्धार तथा लाईनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु रू० 357.72 लाख (रू० तीन करोड़ संतावन लाख बहतर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर प्रक्षेत्राधीन पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत राजबाँध सिंचाई योजना के नहर के जीर्णोद्धार तथा लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 357.72 लाख (रू० तीन करोड़ संतावन लाख बहतर हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस ई०आर०एम० कार्य के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें :–
   - (i) राजबाँध सिंचाई योजना के मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 5.182 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।
   - (ii) राजबाँध सिंचाई योजना में जल संधारण भाग एवं WC का जीर्णोद्धार एवं WC का 0.0 कि०मी० से 1.00 कि०मी० तक लाईनिंग कार्य।
   - (iii) राजबाँध सिंचाई योजना अंतर्गत विभिन्न संरचनाएँ यथा बैरल, स्टाफ रूम, P.C.C. Dovel तथा P.C.C. Road का निर्माण कार्य।
   - (iv) राजबाँध सिंचाई योजना के गेट एवं शेड का निर्माण कार्य।

4. योजना के पुनरूद्धार (ERM) कार्य कराने के पश्चात् 480 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुर्नबहाल हो पायेगा।

5. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारंभ कर वर्ष 2017–18 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं०–10, घाटशिला निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. इस योजना पर होने वाला व्यय –

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य, के अन्तर्गत विकलनीय है।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल की मापी एवं प्रस्तावित कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

10. पुनर्स्थापन कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. इस कार्य हेतु निधि की निकासी घाटशिला कोषागार से की जायेगी।

12. इस कार्य के लिए वर्ष 2016–17 के बजट में उपबंध है।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/498/2007– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/498/2007– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

ज्ञापांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/498/2007– 89/16-17 प्र.सं. /राँची, दिनांक 16.03.2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्र०सं०–10, घाटशिला / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/17
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)
16/03/17